जल संकट | दूर-दूर से पानी लाने को हुए मजबूर, बीते 3 दिनों से नहीं आ रहा है पानी

बूंद-बूंद पानी के लिए मोहताज रहवासी

नवभारत,जबलपुर। घरों में नलों से आ रहे गंदे पानी से त्रस्त होने के बाद अब बीते 3 दिनों से महाराणा प्रताप वार्ड के भूकंप कॉलोनी के रहवासियों का एक बड़ा समूह पीने के पानी के लिए तरसता नजर आ रहा है। आलम ये है कि कोई साईकिल तो कोई एक्टिवा तो कोई रिक्शा के सहारे दूर दूर से पीने का पानी लेकर अपने घरों में आने मजबूर हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार भूकंप कॉलोनी के करीब 250 घरों में बीते 3 दिनों से नलों की मेन पाइप लाइन को बंद कर दिया गया है जिससे अब पानी एक बूंद भी नहीं आ रहा है।

स्थानीय निवासी वीरेंद्र शर्मा, अमर सिंह ठाकुर, राजेश चौकसे, जगदीश विश्वकर्मा, विक्की साहू, प्रकाश सांगले सहित अन्य ने नवभारत को बताया कि पानी न आने से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगम प्रशासन व जल विभाग के अफसरों को जल्द से जल्द इलाके में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू करना चाहिए। गंभीर समस्या में जल विभाग के जिम्मेदार अफसर ने कहा है कि एक दो दिन में इलाके में पाइप लाइन से पेयजल आने लगेगा और लोगों को राहत मिलेगी।

ये कहते हैं जिम्मेदार

जल विभाग के जिम्मेदार अधिकारी संदीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भूकंप कॉलोनी की पानी की पुरानी पाइपलाइन को हटाकर करीब 1100 फुट की नई पाइप लाइन स्थापित करने का काम जारी है। करीब एक से दो दिन के भीतर नई पाइप लाइन स्थापित हो जाएगी और फिर लोगों के घरों में स्वच्छ पानी आने लगेगा।

इसलिए की गई थी खुदाई....

जानकारी के अनुसार भूकंप कॉलोनी में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नाली चौड़करण का कार्य चल रहा था जिसमें पेयजल लाइन सीमा के भीतर आई और कुछ जगह वह क्षतिग्रस्त हो गई थी जिस कारण लोगों के घरों में गंदा पानी आने लगा था। इसके साथ ही क्षेत्र में जलप्लावन न हो इसके लिए नाली खोदी गई थी। जो कि अब परेशानी की मुख्य वजह बन चुकी है।

पेड़ की टहनी गिरने से घायल महिला की मौत

नवभारत, जबलपुर। रामपुर में आंधी के दौरान पेड़ की एक भारी टहनी सिर पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रामपुर गोरखपुर निवासी कमला बाई (57) पर कल शाम लगभग 4-50 बजे अचानक एक पेड़ की टहनी गिर गई। टहनी सीधे उनके सिर पर लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ीं। हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायल महिला की बेटी आशा ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सिर पर गंभीर चोट होने के कारण उनकी हालत बिगड़ती चली गई। रात करीब 11:20 बजे उपचार के दौरान कमला बाई की मौत हो गई। शनिवार को हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है।

विधिक साक्षरता एवं आउटरीच कार्यक्रम अनुगूंज आयोजित

जबलपुर, नवभारत। न्याय तक समावेशी पहुंच को प्रोत्साहित करने तथा श्रवण एवं वाक्-बाधित समुदाय के मध्य विधिक जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अनुगूंज शीर्षक से एक दिवसीय प्रदेशव्यापी विधिक साक्षरता एवं आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन राज्य प्राधिकरण के सभागार में किया गया। उल्लेखनीय है कि अनुगूंज देश के किसी भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण एवं वाक्-बाधित समुदाय के लिए विशेष रूप से आयोजित अपनी प्रकृति का प्रथम प्रदेशव्यापी कार्यक्रम है। यह पहल समाज के प्रत्येक वर्ग तक बिना किसी भेदभाव अथवा बाधा के विधिक सेवाओं का लाभ पहुंचाने हेतु म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की दृढ़ प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करती है। यह कार्यक्रम प्रदेश की समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से एक साथ आयोजित किया गया, जिससे राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रवण एवं वाक्-बाधित समुदाय के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित हुई।

कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ गरिमामय एवं मंगलमय वातावरण में हुआ। दीप प्रज्वलन की यह परंपरा दिव्यांगजन, विशेषकर श्रवण एवं वाक्-बाधित व्यक्तियों के लिए समानता, सुगम्यता, सशक्तिकरण एवं समावेशी न्याय सुनिश्चित करने के सामूहिक संकल्प का प्रतीक रही।उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने कहा कि वास्तव में समावेशी न्याय व्यवस्था वही है, जो समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझे तथा उनके अनुरूप संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। उन्होंने श्रवण एवं वाक्-बाधित समुदाय के सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरूकता, सुगम्यता तथा तकनीकी नवाचार के महत्व पर विशेष बल दिया न्यायमूर्ति श्री रूसिया ने सभी संबंधित हितधारकों से आह्वान किया कि वे सामूहिक रूप से ऐसे वातावरण के निर्माण हेतु कार्य करें, जिसमें दिव्यांगजन, विशेषकर श्रवण एवं वाक्-बाधित व्यक्ति, गरिमा, आत्मनिर्भरता एवं समान अवसरों के साथ अपने संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकारों का पूर्ण रूप से उपभोग कर सकें।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा, न्यायाधिपति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि न्याय तक समान पहुंच संविधान द्वारा प्रदत्त एक महत्वपूर्ण आश्वासन है, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होना चाहिए।

तीन संचालकों पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज

फन्निगो एडवेंचर एरीना में वेल्डिंग के दौरान लगी आग में जिंदा जल गया था मजदूर

नवभारत, जबलपुर। बरगी थाना अंतर्गत मानेगांव में फनिंगों एडविंचर पार्क में 25 मार्च को सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी, बिना सुरक्षा इंतजाम और अग्निशमन उपकरणों के वेल्डिंग का काम कराए जाने के दौरान भीषण आग लगी थी। इस हादसे में झुलसने के कारण एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की फर्म के तीन संचालकों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

विदित हो कि फनिंगों एडविंचर पार्क में आग लग गई थी। आग बुझने के बाद आग लगे हिस्से में सर्च करने पर गेमिंग जोन में एक अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ कंकाल रूपी शव मिला था। मृतक की पहचान अशोक मरावी (44) निवासी चूल्हा गोलाई, ग्राम नारायणपुर, थाना तिलवारा के रूप में हुई थी। अशोक से वेल्डिंग का कार्य कराया जा रहा था। जाँच में यह बात सामने आई है कि कार्य के दौरान मृतक को न तो कोई सुरक्षा साधन दिए गए थे और न ही वहाँ आग से निपटने के लिए कोई अग्निशमन यंत्र (फायर एक्स्टिंग्विशर) मौजूद थे। वेल्डिंग के काम के दौरान निकली चिंगारियों ने एरीना जोन में रखे अत्यंत ज्वलनशील रबर और फोम को अपनी चपेट में ले लिया था।

सुरक्षा उपकरण और आग बुझाने के साधन न होने के कारण आग तत्काल पूरे परिसर में फैल गई थी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से झुलसने के कारण अशोक मरावी की मौके पर ही मौत हो गई थी। जाँच के बाद पुलिस ने इस लापरवाही के लिए फर्म के संचालकों को जिम्मेदार माना है। पुलिस ने प्रभाकर जैन (37), निवासी गली नंबर 7, सप्तऋषि नगर, लमती, विजयनगर, वेदांत कुमार दीवान (26), निवासी पुरानी जगदम्बा कॉलोनी, विजयनगर, बासु गुप्ता (26), निवासी सिल्ली बया का बाड़ा, छोटा फुहारा, मिलौनीगंज, कोतवाली के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्लॉट दिलाने के नाम पर 19 .20 लाख की ठगी

विजय नगर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। विजय नगर थाना अंतर्गत पिंक सिटी में प्लॉट बेचने के नाम पर 19.20 लाख की ठगी की गई। आरोपी ने एग्रीमेंट करने और पैसे लेने के बाद साल भर तक पीड़ित को झांसा दिया। पुलिस ने अब शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक शारदा प्रसाद तिवारी (46), निवासी गली नंबर 3, आकाश विहार, माढ़ोताल ने बिनैकी स्थित डायवर्सन भूमि (रकबा 1.380 हेक्टेयर) पर कटे पिंक सिटी ले-आउट में दो प्लॉट पसंद किए थे। प्लॉट नंबर 53 और 54 कुल 1600 वर्गफुट को खरीदने का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट

मिलौनीगंज के शरद कुमार मोर के साथ 19 लाख 20 हजार रुपये में तय हुआ था। शारदा प्रसाद ने तय शर्तों के अनुसार शरद मोर को अलग-अलग तारीखों में कुल 15 लाख रुपये दे दिए। इसमें बैंक ऑफ इंडिया की दीनदयाल चौक शाखा के माध्यम से और 10 जनवरी, 15 फरवरी व 20 मार्च 2025 को कुल 3 लाख रुपये नकद शामिल थे। बाकी बचे 4 लाख 20 हजार रुपये रजिस्ट्री के समय (तीन महीने के भीतर) देने थे।

बाहर हूं... कहकर काट देता था फोन

पैसे लेने के बाद शरद मोर की नीयत बदल गई। जब भी पीड़ित रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाता, आरोपी 'मैं बाहर हूँ' कहकर बात टाल देता। वह कभी पैसे लौटाने तो कभी रजिस्ट्री करने का झूठा आश्वासन देकर पीड़ित को पिछले एक साल से लगातार गुमराह कर रहा था। जब पीड़ित को अहसास हुआ कि उसके साथ साजिश रचकर रकम हड़प ली गई है, तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शरद कुमार मोर (50), निवासी मिलौनीगंज, के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है ।

नायब तहसीलदार के तबादले पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कटंगी में पदस्थ नायब तहसीलदार के स्थानातंरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल कटंगी से सिहोरा जाने के ट्रांसफर आदेश के एक वर्ष बाद रिलीव करने पर आपत्ति की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर विचार करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

प्रदीप सिंह ठाकुर की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि 17 जून 2025 के स्थानांतरण आदेश के अनुपालन में संबंधित अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को पद से हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इस पर न्यायालय ने राज्य शासन से यह स्पष्ट करने को कहा कि उक्त आदेश के अनुपालन की वर्तमान स्थिति क्या है, किंतु इस पर संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए 17 जून 2025 के विवादित स्थानांतरण आदेश के प्रभाव व संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापना स्थल नायब तहसीलदार कटंगी जिला जबलपुर पर कार्यरत रहने की अनुमति दी जाए।

2 .27 करोड़ की ठगी : भोपाल का ठग गया जेल

जबलपुर। शेयर बाजार में निवेश पर 500 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर शहर की एक महिला से 2 करोड़ 27 लाख रुपये की ठगी के मामले में भो पाल से गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है ।

पुलिस के मुबिक शहर में रहने वाली महिला को साइबर ठगों ने जाल में फंसाते हुए शेयर बाजार में निवेश कर प्रतिदिन 5 प्रतिशत रिटर्न और दीर्घकालिक निवेश पर 500 प्रतिशत तक रिटर्न देने का वादा किया था एवं अल्पकालिक पूंजी लाभ और दीर्घकालिक पूंजी लाभ दोनों में निवेश कराने तथा शेयरों और सस्ते दर पर बल्क ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा दिलाने का वादा कर महिला के साथ 2 करोड़ 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

मामले में एएसपी अपराध जितेंद्र सिंह के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक साइबर अंजुल अयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में गठित टीम की गई। पतासाजी के दौरान मिले क्लू पर आरोपी आसिम अहमद सिद्दीकी निवासी शराब मिल, जिन्सी, थाना जहांगीराबाद, भोपाल को खजुरी बायपास भोपाल से गिरफ्तार किया गया जिसे शहर लाने के बाद पूछताछ की गई तो उसने ठगी की रकम में से दो लाख रुपये की राशि अपने खाते में प्राप्त करना बताया। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।

युवती ने पी शराब, बिगड़ी तबियत, मौत

नवभारत, जबलपुर । तिलवारा थाना अंतर्गत सोनी कॉलोनी शास्त्री नगर में रहने वाली एक युवती ने शराब पी ली जिसके बाद उसकी तबिगड़ बिगड़ गई उस इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक राजेन्द्र वासनिक 59 वर्ष निवासी सोनी कॉलोनी शास्त्रीनगर की बेटी राशि वासनिक 22 वर्ष सुबह लगभग 10 बजे राशि की तबियत बिगड़ गई वे शराब पी हुयी थी सांस लेने में तकलीफहो रही थी जिसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।

चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा

जबलपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वंदना सिंह ने चेक बाउंस मामले में नागपुर निवासी आशीष बजाज को छह माह की सजा सुनवाई है। न्यायालय ने नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 4 लाख 10 हजार रुपए प्रतिकर अदा करने का भी आदेश दिया है। उपरैनगंज निवासी नरेन्द्र अग्रवाल की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि आशीष बजाज ने वर्ष 2014 में 2 लाख रुपए का चेक दिया था। चेक बाउंस हो गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को छह माह की सजा सुनाई। परिवादी की ओर से अधिवक्ता सचिन अग्रवाल और शीर्ष अग्रवाल ने पक्ष रखा।

म्यूल अकाउंट्स में खपी ठगी की रकम, 4 पर एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड और ऑनलाइन निवेश के नाम पर होने वाली ठगी की रकम को खपाने वाले म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ जिले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई । उप पुलिस अधीक्षक साइबर अंजुल अयंक मिश्रा के अनुसार ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध बैंक खातों की सूची सभी थाना प्रभारियों को भेजी गइ थी। केंट पुलिस ने जब मिले इनपुट के आधार पर संदिग्ध खातों की सघन तकनीकी जांच की, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने पाया कि चार युवाओं और बिचौलियों ने चंद रुपयों के लालच में साइबर अपराधियों को अपने बैंक खाते उपलब्ध करवाए थे, जिनमें

ठगी की लाखों रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। टीआई पुष्पेंद्र पटेल ने बताया कि ,एसबीआई ब्रांच सदर के खाता धारक सुनील रजक व खाता धारक मोहित राय खाता के संबंध में जांच की गई दोनों खाता धारकों व्दारा अपना उक्त बैंक खाता को प्रकाश राजपूत निवासी कटनी को बेचा। पिन्टू राजपूत व्दारा बताया गया कि हिमांशु शर्मा निवासी कटनी के कहने पर सुनील रजक और मोहित राय से खाता खुलवाकर हिमांशु शर्मा को खाता व इनका एटीएम, सिम दिया। जांच पर सुनील रजक, मोहित राय, प्रकाश उर्फपिन्टू राजपूत और हिमांशु शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया ।

रडार पर सैकड़ों और खाते

ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत जबलपुर जिले के कई अन्य बैंक खातों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। साइबर सेल की टीमें इन खातों के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और इनके धारकों की कुंडली खंगाल रही हैं। 1500 खाते खातें चिन्हित किए गए है। 100 खातों ट्रांजेक्शन खंगाले के साथ अन्य बिन्दुओं पर जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक जिन भी म्युल खातों की साइबर फ्रॉड में संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खाताधारकों को सीधे सह-आरोपी बनाकर जेल भेजा जाएगा।

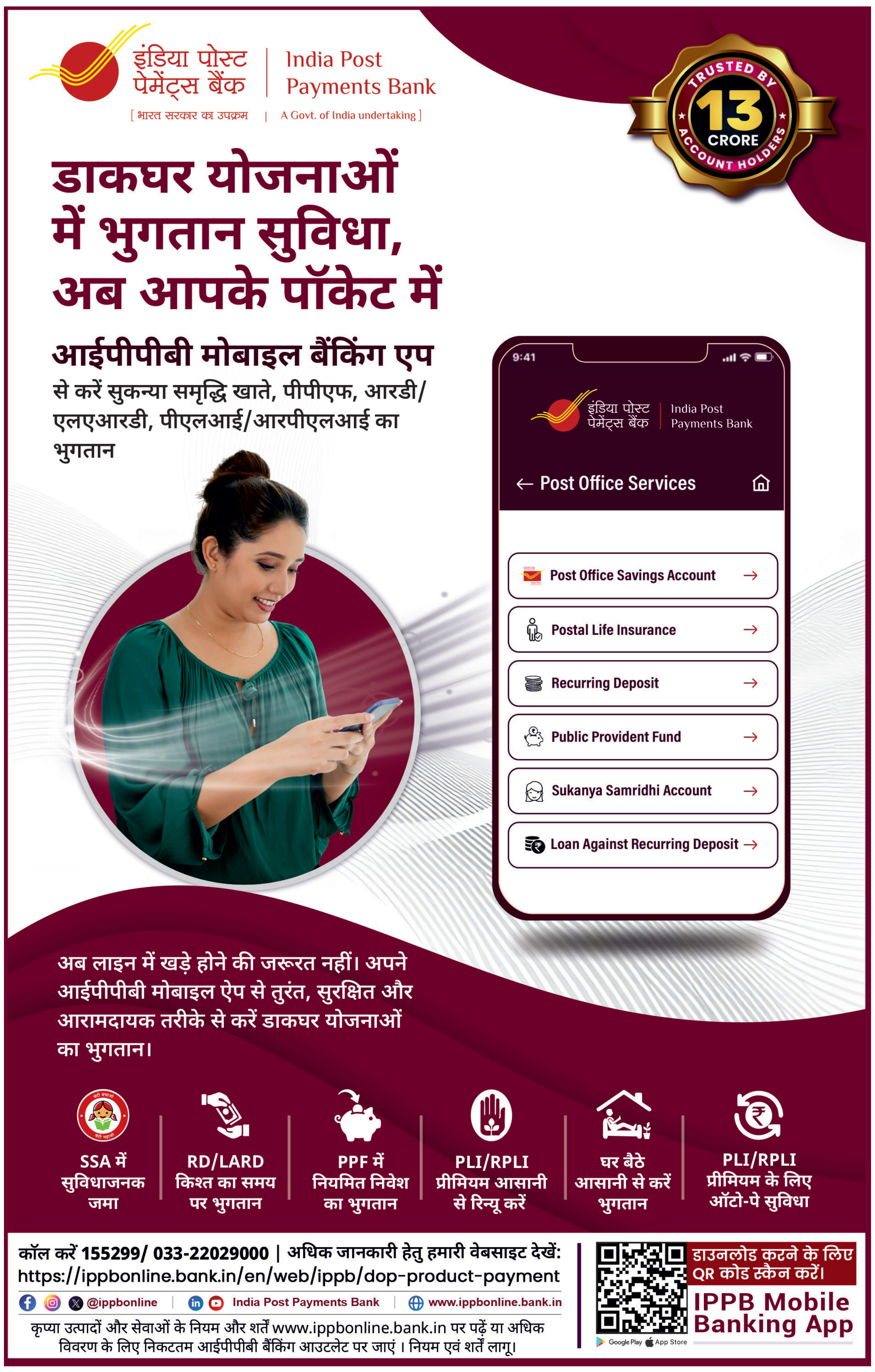

अव्यवस्था | करीब 3 से चार घंटे तक वाहन वहीं पड़ा रहा

कचरा कलेक्शन वाहन टूटा, सड़क पर फैली गंदगी

गाड़ी टूटने के बाद फैला कचरा

कचरा उठाते सफाई कर्मी

कचरा हटने के बाद की स्थिति

नवभारत,जबलपुर। ताप्ती नगर, आलोक नगर अधारताल में कचरा कलेक्शन का रिक्शा अचानक टूट गया जिस कारण सड़क पर कचरा व गंदगी फैल गई। करीब 3 से चार घंटे तक वाहन वहीं पड़ा रहा और गंदगी स्थानीयजनों को चुभने लगी। इसी बीच नगर निगम के स्वच्छता सिटीजन एप पर जागरूक नागरिक अविनाश मोटवानी ने टूटे रिक्शा और गंदगी की फोटो अपलोड की। जिसके बाद शनिवार को नगर निगम के जिम्मेदारों ने मौके पर सफाई अमला भेजा और गंदगी को साफ कराया।

हटाए क्यों नहीं जा रहे खस्ताहाल वाहन

जानकारी के अनुसार ताप्ती नगर, आलोक नगर अधारताल में कचरा उठाने निगम का वाहन गया था जहां वह क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों में चर्चा थी कि वाहन किसी अन्य वाहन से टकराया है जिस कारण ऐसा हुआ है। उधर सवाल ये भी खड़े हुए कि अगर निगम के सफाई अमले में कचरा कलेक्शन वाहन खस्ताहाल स्थिति में हैं तो उन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा है।